संख्या-59 /2026/3195/58-1-2026-54-2002-099-6-2023(1755920)

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊः दिनांक 23-10-2026

विषयः- अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह अगस्त एवं सितम्बर, 2026 के लिए हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-330/बा0वि0परि०/पो0 एवंस्वा 0/2026-27, दिनांक 25-09-2026 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय त्रैमास में हॉट कुक्ड मील योजना के संचालन हेतु वितीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के०-50/रा0-50-के०+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह अगस्त एवं सितम्बर, 2026 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत रू० 7,85,34,264.00 (रुपये सात करोड़ पचासी लाख चौतीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) का संलग्न सूची के अनुसार 09 जनपदों को अग्रिम आहरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31-03-2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी सम्मायोजन करा दिया जाये।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत् किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 आग 1 के प्रस्तर-162 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवरस्था के अनुसार जी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का होगा।

(6) निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इस संबंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(9) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा ।

(11) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी ।

(13) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(14) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा ।

(15) वितीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा ।

(16) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा । समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा ।

(17) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।

(18) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी दद्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा

(19) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3-इस सबंध में होने वाला व्यय रू0 7,85,34,264.00 (रुपये सात करोड़ पचासी लाख चौतीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/रा0-50-के०+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

4-यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या-E-4-148-X-2026-27 दिनाकः 08-10-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव ।

संख्या-59/2026/3195(1)/58-1-2026-54-2002-099-6-2023, तदिदनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।